न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, उदयपुर
पीठासीन अधिकारीः एल0एन0मंत्री, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 202 / 2021 अपील / चित्तौड़गढ़ (GCMS 2021/217)
पंजीयन दिनांक– 16.04.2021
निर्णय दिनांक– 12.10.2021

1. श्री किशना उर्फ कनीराम पिता सीताराम धाकड, निवासी ढोरिया, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्री जगदीशचन्द्र पिता धनराज धाकड़, निवासी ढोरिया, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री बाबूलाल पिता धनराज धाकड़, निवासी ढोरिया, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
4. श्री हीरालाल पिता भागीरथ धाकड़, निवासी ढोरिया, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
5. श्री हरिराम पिता जेराम धाकड़, निवासी ढोरिया, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
6. श्री रामेश्वरलाल पिता जेराम धाकड़, निवासी ढोरिया, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
7. श्री मदनलाल पिता लज्जाराम धाकड़, निवासी ढोरिया, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
8. श्री दुर्गाशंकर पिता लज्जाराम धाकड़, निवासी ढोरिया, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
9. श्री रामचन्द्र पिता लज्जाराम धाकड़, निवासी ढोरिया, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
10. श्री नानालाल पिता भंवरलाल धाकड़, निवासी ढोरिया, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।
11. श्री उदयराम पिता नारायण धाकड़, निवासी ढोरिया, तहसील निम्बाहेड़ा, जिला चित्तौड़गढ़।

–अपीलांट्स

बनाम

1. श्री मांगीलाल पिता रूपलाल सालवी, निवासी गादोला, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
2. श्रीमती हुलास पिता किशना सालवी, निवासी निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।
3. श्री भरत पिता उदयराम खटीक, निवासी निम्बाहेडा, तहसील निम्बाहेडा, जिला चित्तौड़गढ़।

–रेस्पोडेंट्स

उपस्थितिः–

1. श्री सम्पतलाल बोहरा/ – अधिवक्ता अपीलांट्स
   श्री संजय बोहरा

अपील अन्तर्गत धारा–75 भू–राजस्व अधिनियम 1956
विरूद्ध तहसीलदार, निम्बाहेड़ा के
प्रकरण संख्या 06/2013 निर्णय दिनांक 24.12.2013

निर्णय

दिनांक 11.10.2021

अपीलांट्स द्वारा यह अपील अंतर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध तहसीलदार, निम्बाहेड़ा के प्रकरण संख्या 06/2013 निर्णय दिनांक 24.12.2013 के विरूद्ध दिनांक 14.02.2014 को न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर को प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 96 जाप्ता दीवानी, प्रार्थना पत्र बाबत स्थगन आदेश के साथ पेश की गई है। न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर के आदेश क्रमांक 449–50 दिनांक 28.01.2021 के क्रम में जिला चित्तौड़गढ़ का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय में स्थानांतरित किया जाने से न्यायालय संभागीय आयुक्त, उदयपुर से स्थानांतरित होकर दिनांक 16.04.2021 को दर्ज की गई।

इस प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 श्री मांगीलाल पिता रूपलाल, निवासी गादोला द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि किशना पिता ठाकुर सालवी ने अपने जीवनकाल में एक वसीयत दिनांक 12.04.1974 को ग्राम मण्डलाचारण के खसरा नम्बर 177 रकबा 1.26 हैक्टेयर (साबिक खसरा नम्बर 694/75 रकबा 5 बीघा) की उसके पक्ष में निष्पादित की है। अतः उक्त आधार पर किशना की मृत्यु के पश्चात उसके पक्ष में नामांतरकरण की कार्यवाही की जावें इस संबंध में उसके द्वारा गवाह व अंतिम वसीयत होने बाबत शपथ पत्र भी पेश किया गया। उपरोक्त क्रम में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 06/2013 दर्ज कर निर्णय दिनांक 24.12.2013 से रेस्पोडेंट संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने से अप्रसन्न होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24.12.2013 से निम्नानुसार निर्णय पारित किया हैः— *"अतः उक्त वसीयतनामा के आधार पर ग्राम मण्डलाचारण के खसरा नम्बर 177 रकबा 1.26 हैक्टेयर (साबिक खसरा नमबर 694/74 रकबा 5 बीघा) के खातेदार किशान पिता ठाकुर सालवी के बजाय वसीयत ग्रहीता मांगीलाल पुत्र रूपा सालवी हाल निवासी गादोला, तसहील निम्बाहेडा के नाम नामांतरकरण दर्ज करने का आदेश दिया जाता है।"*

उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलांट्स द्वारा यह अपील पेश की गई है।

यह अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स को जरिये सम्मन सूचित किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से अभिलेख मंगवाया गया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री सम्पतलाल बोहरा/ श्री संजय बोहरा उपस्थित व रेस्पोडेंट्स बावजूद सूचना के

अनुपस्थित, उपस्थित अधिवक्ता की बहस दिनांक 05.10.2021 को सुनी गई।

अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी लिखित बहस पेश कर बताया कि अपीलांट का कब्जा उक्त जमीन पर आवंटन के बहुत वर्षो पूर्व से चला आ रहा है उन्होने ही कथित जमीन का आवंटन किशना के नाम पर कराया था तथा यह आवंटन भूमिहीन काश्तकार होने से किया गया था। यह किशना की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, किशना की तीन लडकियां है हुलास, सुंदर व काशीबाई थी। किशना के नाम की फर्जी वसीयत बनाकर कथित जमीन के आधार पर मांगीलाल ने अपने हक में दर्ज कराने का प्रार्थना पत्र पेश किया था। विवादित जमीन किशना के नाम गैर खातेदारी की थी। किशना को उक्त जमीन सन् 1965 में आवंटन हुई थी तथा सन् 1974 को एक फर्जी वसीयतनामा मांगीलाल ने किशना के नाम तैयार कर उस पर फर्जी अंगूठा लगा फर्जी वसीयत तैयार कर दी जबकि यह जमीन गैर खातेदारी की थी इस जमीन की न तो वसीयत की जा सकती थी न वसीयत ही की गई है। किशना का स्वर्गवास 1975 में हो गया था तथा मरे हुए व्यक्ति को खातेदारी अधिकार दिये गये तथा किशना के नाम पर ही कथित जमीन चलती रही एवं उसके मरने के 35 वर्षो बाद वसीयत के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश कर मांगीलाल ने तहसीलदार से मिलमिलाकर कथित अनरजिस्टर्ड व फर्जी वसीयत के आधार पर कथित जमीन को अपने नाम म्यूटेशन करवा दिया। अपीलांट्स कथित आदेश से प्रभावित व्यक्ति है। कथित म्यूटेशन फर्जी वसीयत के आधार पर किया गया है यह 25 पैसे का स्टाम्प पुरानी तारीख में खरीदकर पुरानी तारीखों में वसीयत तैयार की गई है तथा वसीयत स्पष्ट रूप से फर्जी है। अगर वसीयत बाद में बनायी गयी है एवं 38 वर्षो बाद कब्जेधारी अपीलांट को सुने बिना व नेचुरल वारिसान को भी सुने बिना एवं नोटिस दिए बिना जो कार्यवाही की गयी व प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होकर एबइनिश्योवोइड है जिस समय वसीयत की गयी वह गैर खातेदारी की एलोटेड जमीन

थी तथा उसकी वसीयत की ही नही जा सकती है। वसीयत को साबित भी नही माना जा सकता है क्योंकि न तो नेचुरल वारिसान को न अपीलांट को पक्षकार ही बनाया है न उन्हें सुना ही गया है। वसीयत एवं एडप्शन का बिन्दु सक्षम सिविल न्यायालय से ही तय कराया जा सकता है तहसलीदार ने इस मामले में अपीलांट को पक्षकार नही बनाया न सुनवाई का ही अवसर दिया है ऐसी स्थिति में वसीयत के आधर पर म्यूटेशन किया गया वह बिना अधिकार के है। इस वसीयत के आधार पर मृतक के मरने के 38 वर्षो बाद जब उसे खातेदारी अधिकार मिल गए थे तब म्यूटेशन की कार्यवाही की गयी है वह बिना अधिकार के चली आ रही है। कथित म्यूटेशन कराने के लिए तहसीलदार के समक्ष प्रार्थना पत्र दिनांक 16.12.1974 को पेश किया गया तथा उसके आधार पर जो भी कार्यवाही की गयी व समस्त कार्यवाही वोईड होकर बिना अधिकार के है। ऐसी स्थिति में यह म्यूटेशन निरस्त किया जाना आवश्यक है। अधिवक्ता अपीलांट्स द्वारा अपनी बहस के समर्थन में विविध दृष्टान्त एवं न्यायिक विनिश्चय क्रमशः R. R. T. 2009 (1) Page 685, R. R. D. 2009 Page 183, R. B. J. 2008 Page 67, R. R. T. 2006-07 Page 277, R. B. J (21) 2014 Page 328, R. B. J. 2020 Page 1 & 301, R. B. J (21) 2014 Page 19 का हवाला प्रस्तुत करते हुए अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाने बाबत निवेदन किया गया।

प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि अपीलाण्ट अधीनस्थ न्यायालय में पक्षकार नहीं थे, अतएवं उन्हें अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व जानकारी नहीं होना स्वाभाविक है एवं उनको पूर्व जानकारी होने की कोई साक्ष्य भी उपलब्ध नहीं है, अतएवं अपीलाण्ट द्वारा दिये गये दफा 5 मियाद अधिनियम के आवेदन के आधार पर मियाद कण्डोन की जाती है।

अब हम अपीलाण्ट द्वारा पेश किये गये दफा 96 जा.दी. के आवेदन पर विचार करना उचित समझते हैं। अपीलाण्ट द्वारा दफा 96 जा.दी. के आवेदन व अपील मेमों में जो तथ्य वर्णित किये गये हैं, वे प्रमुखतया यह है कि अपीलाण्ट का कब्जा आवंटन के बहुत समय

पहले से चला आ रहा था व पटवारी की रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि अपीलाण्ट का पजेसरी टाईटल है एवं पजेसरी टाईटल के आधार पर कथित भूमि का नामान्तकरण अपीलाण्ट के नाम दर्ज करना चाहिये था परन्तु तहसीलदार से मिलीभगत कर नामान्तकरण खुलवा दिया है। वसीयत फर्जी है। वसीयत के फर्जी होने के बावजूद नामान्तकरण खुलते ही रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 ने भूमि का विक्रय कर दिया तथा खरीरदार भी आगे विक्रय कर रहा है जिससे अपीलाण्ट के अधिकार प्रभावित हो रहे हैं। अपीलाण्ट हितबद्ध पक्षकार है।

इस प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तहसीलदार, निम्बाहेड़ा से प्राप्त पत्र अनुसार उपलब्ध नहीं है तथा तहसीलदार द्वारा भी प्रकरण में नामान्तकरण पर चस्पा आदेश की प्रति भिजवायी है। प्रकरण में यह सुस्पष्ट है कि जैसाकि अपीलाण्ट ने बताया कि भूमि किशना पिता ठाकुर जी को आवंटन हुई लेकिन यह भी कहता है कि विवादित भूमि पर आवंटन से पूर्व से उनका कब्जा था। अपीलाण्ट यह कहता है कि भूमि आवंटी किशना के बाद उसकी तीन पुत्रियों हुलासबाई, सुन्दरबाई व काशीबाई हुई जिसमें से सुन्दरबाई व काशीबाई फौत हो चुकी है। उनके वारिस जिन्दा है, जिनका नाम अपीलांट को पूर्ण पता नही होने से उन्हें पक्षकार नहीं बनाया गया है। किशना पिता ठाकुर के कोई भाई नहीं थे। ठाकुर भी अपने पिता का इकलौता पुत्र था। किशना भी अपने पिता का इकलौता पुत्र था। किशान के तीन लड़कियां थी, उसमें से रेस्पोंडेण्ट संख्या 2 जिंदा है व सुन्दरबाई व काशीबाई का स्वर्गवास हो गया है। अपीलाण्ट आगे यह कहता है कि विवादित भूमि जो किशना पिता ठाकुर जी को आवंटित थी, जैसाकि तहसीलदार द्वारा अपने निर्णय दिनांक 24.12.2013 में लिखता है एवं तहसीलदार भी यह कहता है कि किशना पिता ठाकुर जी के तीन लड़कियां सुन्दरबाई, काशीबाई व हुलासबाई थी। प्रकरण में अपीलाण्ट इस प्रकरण में किशना पिता ठाकुर जी सालवी द्वारा दिनांक 12.04.1974 को आवंटित भूमि का मांगीलाल

पिता रूपलाल सालवी रेस्पोंडेण्ट संख्या 1 को अपंजीकृत वसीयत के आधार पर किये गये नामान्तकरण से स्वयं को हितबद्ध, व्यथित व आवश्यक पक्षकार बताता है क्योंकि उक्त भूमि पर उसका कब्जा था। प्रकरण में अपीलाण्ट का आश्चर्यजनक कथन यह है कि अपीलाण्ट ने किशना पिता ठाकुर जी के नाम आवंटन करवायी जो विश्मयकारी है अर्थात् अपीलाण्ट आवंटन का अधिकारी नहीं है तथा यदि भूमि किशना पिता ठाकुर जी को आवंटित हुई है तो भूमि किशना पिता ठाकुर जी की ही होगी। किशना पिता ठाकुर जी के प्राकृतिक विरासत या वसीयती उत्तराधिकार के सन्दर्भ में तहसीलदार द्वारा वसीयती उत्तराधिकार को माना गया है तो उक्त वसीयती उत्तराधिकार के सन्दर्भ में चुनौती देने को अधिकृत व्यक्ति उसके प्राकृतिक वारिस या अन्य क्रेता या अन्य विधिक उत्तराधिकारी उसे चुनौती दे सकते हैं। अपीलाण्ट अपंजीकृत वसीयत के आधार पर किशना पिता ठाकुर जी की भूमि के नामान्तकरण को इस आधार पर चुनौती देता है कि विवादित भूमि पर उसका कब्जा है। किशना पिता ठाकुर जी एवं उसके वसीयतगृहिता मांगीलाल एवं उसकी पुत्रियां अनुसूचित जाति वर्ग से होना सुस्पष्ट है एवं वे किशन पिता ठाकुर जी, जो कि अनुसूचित जाति का था, उसके वारिस हो सकते हैं परन्तु विवादित भूमि पर अपीलाण्ट या उनके पूर्वज काबिज हो, इस आधार पर नामान्तकरण प्रक्रिया से अपीलाण्ट को हितबद्ध नहीं माना जा सकता क्येांकि अपीलाण्ट धारा 42–बी के उल्लंघनकर्ता माना जाएंगे। प्रतिकूल कब्जे का सिद्धान्त राजस्व कानूनों में एवं वर्तमान नवीनतम न्यायिक दृष्टान्तों के तहत विद्यमान नहीं है। इस स्थिति में सिर्फ कब्जे के आधार पर अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि में हुए नामान्तकरण में उत्तराधिकारी या वसीयत के विवाद या वसीयत के अनियमितताओं को चुनौती देने के लिए किसी भी प्रकार से अपीलाण्ट, जो कि अनुसूचित जाति वर्ग से नहीं है, उन्हें आवश्यक, हितबद्ध तथा व्यथित पक्षकार नहीं माना जा सकता। अपीलाण्ट द्वारा

जो भी न्यायिक नजीरें प्रस्तुत की गयी है, वे वसीयती उत्तराधिकार में अपंजीकृत वसीयत से नामान्तकरण होने अथवा नहीं होने व वसीयत के आधार पर नामान्तकरण किस प्रकार हो सकता है अथवा उत्तराधिकार किस प्रकार तय होगा, इस बाबत् है। स्पष्टतः अपीलाण्ट स्वयं के पास प्राकृतिक विरासती अधिकार नहीं है, उसके पक्ष में कोई वसीयत नहीं है। अपीलाण्ट तो सिर्फ कब्जे के आधार पर प्राकृतिक व वसीयती उत्तराधिकार, जो कि रेस्पोंडेण्ट के मध्य विवाद का विषय हो सकता है, उसके आधार पर वसीयती नामान्तकरण को चुनौती देता है जिसके लिए वह कदापि आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं है। विधिक रूप से भी अतिक्रमी का कोई **Locus Standi** नहीं होता व अतिक्रमण के आधार पर स्वत्व सृजन होने के राजस्थान काश्तकारी कानून अथवा राजस्थान के राजस्व कानूनों विशेष रूप से अनुसूचित जाति वर्ग की खातेदारी भूमि में अतिक्रमण के आधार पर भू—राजस्व कानूनों में कोई प्रावधान नहीं है व विवादित नामान्तकरण को चुनौती देने को उसकी अधिकारिता किसी प्रकार से नहीं है अतएव हम अपीलाण्ट को आवश्यक, हितबद्ध एवं व्यथित पक्षकार नहीं मानते, अतएवं दफा 96 जा.दी. का आवेदन खारिज करते हैं व इसी के अनुक्रम में अपील प्रस्तुत करने की अनुज्ञा नहीं दिये जाने के कारण अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर

मिसल शुमार फैसल हो, निर्णय सुनाया गया।

(एल.एन.मंत्री)
अति.संभागीय आयुक्त
उदयपुर